राजनीति में महिला आरक्षण : एक दृष्टिक्षेप

डॉ.विवेक दिवाण, राज्यशास्त्र विभाग, आर एस मुंदले धरमपेठ आर्टस अँन्ड कॉमर्स कॉलेज, नागपुर. Mobil No: ०९४२३४०८०१८

राष्ट्रीय महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी १९९२ में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। यह आयोग महिलाओं की रक्षा के उपयों की जांच करके उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए शिफारिश सरकारसे करता है। महिला संबंधी मुकदमो की तफ्तीश व अभियोजन के बारे में भी जानकारी रखता है। महिला संबंधी कानूनो के बारे में भी आयोग सुझाव देता है। आयोग की ११ विशेषज्ञ समीतियाँ है, जो महिला लोकअदालतों संबंधी कानूनी जानकारी देने, महिला कैदियों के कल्याण कार्यक्रम आदि कार्य करती है। लोकसभा और राज्य–विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए संविधान में ८१ वे संशोधन के लिए भी आयोग ने प्रयास किए है। १९९७ के बजट अधिवेशन में संयुक्त मोर्चा सरकारने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधान सभाओंमें एक–तिहाई आरक्षण का विधेयक रखा लेकिन मोर्चे के एक घटकदल के नेता ने इसपर आपत्ती जतायी। उनका कहना था कि ''इस विधेयक के पास हो जाने से परकटी महिलाओंको लाभ होगा और गरीब महिलाएँ वंचित रह जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिला आरक्षण का समर्थन किया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए २४ प्रतिशत आरक्षण मौजूद है, उसमेंसे ८ प्रतिशत यानी एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई यानी ९ प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकता है। चाहे कुछ हो, यह तय है कि महिलाओं के आरक्षण से उनका सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक उत्थान होगा ही। वे ऐसे कानूनों को बदल सकेंगी जिनसे उनके हको पर कुठाराघात होता है। उधर अनेक महिला संगठनों ने जैसे कि, 'जागृति महिला समिति', 'इंडियन हाउस वाइफ फेडरेशन' आदि ने महिला आयोग की सफलता को संदिग्ध माना है। आयोग की शिफारिशें कागजों तक ही सिमटी है और आयोग केवल औपचारिकता बनकर रह गया है; ऐसा ये संगठन मानते है।

❖ **भारत के लोकतंत्र में नारी :**

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, किन्तु हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओंकी भागीदारी बहुत कम है। यह तो जितने वाली महिलाओं की स्थिति है, बल्कि चुनाव में हिस्सेदारी निभानेवाली महिलाओंका प्रतिशत भी बहुत कम है। चुनावों में महिलाओंकी हिस्सेदारी न केवल उमिद्वार के तौरपर, बल्कि मतदान के रूप में भी सीमित है। महिलाएं आज भी पुरूषप्रधानता की शिकार है। इसलिए महिला आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में आवश्यक है। महिलाएं और पुरूषों की संख्या कई समाजों में लगभग बराबर है। लेकिन महिलाओंका विकास पुरूषों की तुलना में अत्याधिक पिछे है। इसलिए महिलाओका स्तर उंचा करने के लिए संविधान में उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किए है तथा उनके लिए विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। बीसवी शताब्दि में दुनिया के देशों में प्रजातंत्र धीरे–धीरे मजबुत हुआ है। इसमें महिलाओं की भागेदारी भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

१९४५ में जहाँ विश्व में केवल २६ संसदे थी और उनमें महिला सांसदों की संख्या मात्र ३ प्रतिशत थी। वर्ष १९९५ में संसदों की संख्या बढ़कर १७६ हो गयी, लेकिन महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुअी। इसे यह माना जाता है कि संसदीय गणतंत्रो की स्थापना से ही उनमें महिलाओं की भागेदारी को नहीं बढ़ाया गया। राजनीति में महिला भागीदारी को समानता के स्तरपर लाने तथा उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास करने के लिए भिन्न–भिन्न राष्ट्रों की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की अधिक उपस्थिति वांछनीय ही नही, अनिवार्य रूप से आवश्यक है। राजनीति में महिलाओं की समान भागेदारी मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रभाव भारतपर भी हुआ और मोर्चा सरकारने भारत की राजनीति में महिलाओं की अधिक भागेदारी सुनिश्चित करने हेतू संसद तथा राज्यो की विधानसभाओं में महिलाओ को ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की